



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 21—मई 27, 2011 (वैशाख 31, 1933)
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 21—MAY 27, 2011 (VAISAKHA 31, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2011

सं. ई-III/18(6)/08/टीएन/छूट/निरस्तीकारण—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (4) के खंड (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस. चटर्जी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (अ) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या उप.क्षे. का. 3416 दिनांक 26.10.1957 द्वारा मैसर्स बी. एण्ड सी. मिल्स लि., टीएन/29 जिसका पंजीकृत कार्यालय 106, आर्मीनियन स्ट्रीट, चैन्नै-600001 में स्थित है, मेरे समक्ष प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पर्याप्त कारणों से, जो मैं उचित समझता हूं, को प्रदत्त छूट दिनांक 31.08.2007 से निरस्त करता हूँ।

एस. चटर्जी

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक नवम्बर 2010

का.रा.बी. निगम(भर्ती)विनियम, 2010 ग्रुप 'ग' (परा-चिकित्सा) पद

सं. ए-12(11)1/2008-चि.4(आर.आर.-पी.एम.)--कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप धारा (2) के खण्ड (21) और धारा 17 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा इस विषय पर पूर्व सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से रह गई बातों के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा ग्रुप 'ग' परा चिकित्सा पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित भर्ती विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--

(i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 कहे जायेंगे।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान :--

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले आदि :--

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. निरहर्ता :--

ऐसा कोई व्यक्ति :--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है जिसका विवाहिती जीवित है : अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इकरार किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वे किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5. स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति :--

स्थायीकरण विभागीय पदोन्नति समिति संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा तीन सदस्यी समिति के गठन द्वारा की जाएगी जिसमें संबंधित अस्पताल के अपर निदेशक/उप चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक पद का अध्यक्ष होगा।

6. ढील देने की शक्ति :--

जहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम का सुस्पष्ट पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात, कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा व्यक्तियों के वर्ग के लिए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में ढील दे सकते हैं।

7. अवशिष्ट मामले :--

इन विनियमों के उपबंधों के शर्ताधीन, निगम में पदों के तदनुसूची वर्ग के लिए लागू सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

8. अपवाद :--

इन विनियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में ढील और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

सी. एस. केदार
महानिदेशक

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	क्या चयन पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा के जोड़े गये वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
डायरेक्टर्स तकनीशियन	अभी स्वीकृत की जानी है * (2008) कार्यभार के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है।	ग्रुप 'ग' अतिपिकवर्गीय	वेतन बैंड-1 5200-20200/- रुपये ग्रेड वेतन 2800/- रु.	गैर चयन	नहीं	18-27 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारी और कर्मचारी राज्य बीमा - निगम - के कर्मचारियों के मामले में 42 वर्ष तक की दील)	अनिवार्य :- (1) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में 10+2 अथवा समतुल्य अर्हता (2) मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान से रक्त अपोहन में प्रशिक्षण अथवा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत अस्पताल/चिकित्सा संस्थान में रक्त अपोहन में एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय :- एक विषय के रूप में रसायन के साथ स्नातक डिग्री अथवा समतुल्य अर्हता।	आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता-हैं

परिीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति - क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और सिविल बजटिर्जों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13	14
सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	100% पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में कुल दस वर्ष की नियमित सेवा वाले तथा कॉलेम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता व अनुभव रखने वाले प्रयोगशाला सहायक से पदोन्नति	अध्यक्ष - उपर निदेशक/उप चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक-क.रा.बी. अस्पताल सदस्य - संपुक्क निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक सदस्य - चिकित्सा अधिकारी अधिमानतः संबंधित विशेषज्ञता से (केन्द्रीय/राज्य सरकार से बाहरी नामित)	लागू नहीं
		टिप्पणी : जहाँ पदोन्नति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर भी विचार किया जा रहा है, उनके बरिष्ठों की पदोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बजटों की उनकी अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

ESIC (RECRUITMENT) REGULATIONS, 2010 GROUP C (PARA-MEDICAL) POSTS

No. A-12(11)1/2008-Med.-IV(RR-PM)—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 97 read with clause (xxi) the Sub-section 2 of the said Section and Sub-section (2) of Section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of all previous notification on this subject, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following Recruitment Regulations regulating the method of recruitment to the Group 'C' Nursing Cadre/Posts namely :—

1. Short title and Commencement :—

- (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Nursing cadres/Posts), Recruitment Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—

The number of the said post, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedules annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters etc :—

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column 5 to 13 of the said schedule.

4. Disqualification-No person :—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Director General may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Confirmation DPC :—

Confirmation DPC shall be done by the concerned appointing authorities by constituting a Committee of three members including the Chairman of the rank of additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent of respective hospitals.

6. Power to relax :—

Where the Director General of the corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Residuary matters :—

Subject to the provisions of these regulations, all Regulations and instructions applicable to the corresponding category of posts in the Corporation shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these Regulations.

8. Savings :—

Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

C. S. KEDAR
Director General

Name of the post	Number of posts	Classifications	Pay Band and Grade Pay /Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 172	Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
58. Dialysis Technician	Yet to be Sanctioned * (2008) Subject to variation, depending upon the work load.	Group 'C' Non Ministerial	Pay Band -I Rs 5200- 20200 Grade Pay 2800	Non Selection	No	Between 18 to 27 Years (Relaxable up to 42 Years in case of Government servants and employees of ESI Corporation.	Essential:- (i) 10+2 in Science subjects or equivalent qualification from recognized Board /University (ii) Training in Haemodialysis from a recognized hospital/institute or one year experience in haemodialysis in recognized/ registered hospital /medical institute Desirable:- Bachelor's Degree with Chemistry as a subject or equivalent qualification.
60. Mazdoor	4 * (2008) *Subject to variation depending upon workload	Group -"C" Non-Ministerial	Pay Band -I Rs 5200- 20200 Grade Pay 1800	Not Applicable	Not Applicable	18-27 Years Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba, District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential :- Matriculation for equivalent from a recognized board/ school and must have Good Physique, should be prepared to undertake hard labour such as loading/unloading Desirable - Primary Standard Pass Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications(s) regarding experience is / are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes if at any stage of Selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct Recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of Recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled up by various methods	In case of Recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion, deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making Recruitment
9	10	11	12	13	14
Age : NO, Educational Qualification YES	2 Years for Direct Recruitment	100% by Promotion failing which by Direct Recruitment	Promotion from Lab Assistant having a total of ten years of regular service in the grade and possessing the qualification and experience prescribed for the direct Recruitment under column 8.	Chairman-Additional Director/Dy. Medical Superintendent/Medical Superintendent-ESI Hospital Member- Joint Director /Dy. Director/ Assistant Director. Member-Medical Officer preferably from specialty concerned (outside nominee from Central/State Government)	Not Applicable
			Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
Not Applicable	Two Years	100% by Direct Recruitment	Not Applicable	Not applicable	Not Applicable